E-mail: sugandh.cbse@live.com
Website: www.cbseacademic.in

Tel: 011-23220155
23220083

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
शिक्षासदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली–110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
"ShikshaSadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002.

के.मा.शि.बो./शै./अ.नि.(अ.एवं न.)/2015 **परिपत्र संख्या. शैक्षणिक-48/2015**

दिनांक 19 अगस्त, 2015

स्मरणोत्सव
डॉ. भीम राव अम्बेडकर का 125 वां जन्म दिवस समारोह
विद्यालयों में मॉक पार्लियामेन्ट आयोजित करना
[सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मन्त्रालय, भारत सरकार की पहल]

प्रत्येक देश में बुद्धिमान वर्ग सबसे अधिक प्रभावशाली वर्ग होता है। यह वर्ग पूर्वानुमान लगा सकते है, परामर्श दे सकते और नेतृत्व कर सकते है। किसी भी देश में अधिकांश लोग बुद्धिमतापूर्ण विचार और कार्यों के लिए जीवन नहीं जीतें। वह मुख्यत: नकलची होते हैं और बुद्धिमान वर्ग का अनुकरण करते हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश का सम्पूर्ण भाग्य बुद्धिमान वर्ग पर निर्भर करता है। यदि बुद्धिमान वर्ग ईमानदार और स्वतंत्र है तो इस पर विश्वास किया जा सकता है और संकट आने पर यह नेतृत्व कर सकता है। यह सत्य है कि बुद्धि अपने आप में कोई वरदान नहीं है। यह केवल माध्यम है और किसी माध्यम/साधन का प्रयोग बुद्धिमान व्यक्ति के साध्य पर निर्भर करता है।

वाद-विवाद करना क्यों सीखना चाहिए?

i. मुद्दों को समझने के लिए
ii. सुविचारित एवं जानकारी पूर्ण विचार बनाने के लिए
iii. विचारों को प्रभावशाली ढंग से न्यायोचित ठहराना और अपने सन्देश को संक्षेप में अभिव्यक्त करना
iv. सामूहिक क्रियाकलापों में आदरपूर्ण सम्वाद का कौशल विकसित करना
v. कानून कैसे बनाए जाते हैं और देश को कैसे शासित किया जाता है- पर अन्तर्दृष्टि प्राप्त करना
vi. विपक्ष की भूमिका को समझना
vii. वाद-विवाद के रूपों को विशेष रूप से संसदीय प्रकारों को प्रयोग करना/समझना
viii. वाद-विवाद क्लब बना कर तथा आन्तरिक और अन्त: विद्यालयी वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित करके सामान्य वाद-विवाद करने के कौशल को सुधारना
ix. पाठ्यक्रम के अलावा विद्यार्थी नागरिकता, राजनीति, सरकार, जन सेवाओं, सभाओं, इतिहास, लोक-प्रशासन और सामाजिक-आर्थिक मुद्दों के साथ-साथ पढ़ना, लिखना, सुनना और प्रभावशाली ढंग से विश्वास से हिन्दी और अंग्रेजी में बोलना सीखता है।

भारत रत्न डॉ० भीम राव अम्बेडकर एक महान विद्वान, संस्थान-निर्माता और अर्थशास्त्री थे। 1942-45 के दौरान वाइसराय समिति के कामगार सदस्य होने के रूप में उन्होंने भारतीय कामगार वर्ग की कई ऐतिहासिक मांगों को पहचानने में योगदान दिया। इनकी दृष्टि के कारण भारत का संविधान दूर दृष्टि से पूर्ण एवं विश्व के सबसे रोचक संविधानों में से है। इसको संविधान सभा में व्यापक चर्चा के बाद तैयार किया गया। इस समय की गई बहसें आज के भारतीय संविधान पर प्रकाश डालती हैं। अत: आज डॉ० अम्बेडकर की प्रासंगिकता उनके गतिशील लोकतान्त्रिक समाजवाद और मानवीय गरिमा और अधिकारों के प्रश्न पर सक्रियता के फलस्वरूप है। उनकी दृष्टि और मिशन स्वतंत्रता के 68 वर्षों के बाद 21वीं सदी में भी प्रासंगिक है।

वाद-विवाद की परम्परा चल रही है और इस कारण किसी प्रस्ताव के गुणों के परीक्षण की प्रथा सुनिश्चित करती है कि सरकार का काम काज सही अर्थों में लोकतान्त्रिक बना रहे।

संसदीय तरह के 'वाद-विवाद' आयोजित करना

पात्रता: कक्षा XI और XII के विद्यार्थी

मॉक पार्लियामेन्ट्री वाद-विवाद की तैयारी करना

✓ विद्यालय के प्रमुख अपने शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ वाद-विवाद देखने के लिए विधानसभा अथवा संसद जा सकते हैं।

- ✓ सामाजिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, इतिहास के शिक्षक अपने विद्यार्थियों को संविधान सभा के वाद-विवादों (1946-50), औपचारिक कार्यविधि, भाषण के प्रकार और सदस्यों की भूमिका इत्यादि से अच्छी तरह परिचित करवा कर पहल कर सकते हैं।
- ✓ ऐसे मुद्दों की पहचान कीजिए जिन पर आज के सामाजिक-राजनीतिक सन्दर्भ में वाद-विवाद किया जा सकता है।
- ✓ ऐतिहासिक बहसों और समाज से सम्बन्धित आज के मुद्दों पर वाद-विवाद के अभ्यास सत्र आयोजित करना
- ✓ विभिन्न विभागों द्वारा वाद-विवाद करवाए जा रहे मुद्दों को अच्छी तरह समझने के लिए राज्य की विधान सभा अथवा संसद द्वारा प्रसारित बहसों को देखना। ऐसे बहसें ऑनलाइन उपलब्ध हैं तथा दूरदर्शन पर प्रसारित की जाती हैं।
- ✓ वाद-विवाद का कार्यक्रम कक्षा में हिन्दी अथवा अंग्रेजी में आयोजित किया जा सकता है।

मॉक पार्लियामेन्ट की वाद-विवाद

1. यह कार्यक्रम किसी बड़े हाल अथवा खुले स्थान पर आयोजित किया जा सकता है। सभी श्रोता ही दर्शक हैं।
2. कुर्सियों की व्यवस्था और साऊन्ड सिस्टम से पार्लियामेन्ट के प्रबन्ध दिखाई देने चाहिए।
3. प्रभारी शिक्षक प्रतिभागियों को संसदीय बहस की क्रम वद्धता और कार्यविधि अपनाने में सहायता देंगें। वे यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि विद्यार्थी विभिन्न सरकारी विभागों का प्रतिनिधित्व करने की भूमिका के लिए अच्छी तरह तैयार हो कर आएं कि वे वाद-विवाद वाले मुद्दों पर क्या बोलना चाहते हैं?
4. कृपया संविधान सभा की संवैधानिक बहसों के आधार पर दी गई सूची के विषयों पर या अपने विषयों को चुनिए।

वाद-विवाद के लिए सुझाए गए विषय

1. **क्या यह सदन मानता है कि स्वतंत्रता/भाषण की स्वतंत्रता अधिकार निरपेक्ष नहीं है**
2. **सरकार जनजातीय अधिकारों को लागू करने की योजना बनाने तथा उनके जीवन स्तर में उपयुक्त हस्तक्षेपों से सुधार लाने का प्रयास करती है, जबकि उनके सांस्कृतिक लोकाचार को बनाए रखते हुए संरक्षण किया जाना है।**
3. **सरकार आरक्षण के आधार को पुनर्भाषित करने की योजना बनाकर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार अवसरों के क्षेत्रों में सन्तुलन, न्याय और समावेश को सुनिश्चित करती है।.**
4. **महिलाओं को स्व सहायता समूह बनाने के लिए उत्साहवर्द्धन करना एवं पुरस्कार देना तथा पिछड़े वर्गों को अधिक सूक्ष्म वित्त उपलब्ध करवाने को सुनिश्चित करना।**
5. **क्या विधायी निकायों में महिला आरक्षण को सही अर्थों में लागू किया जा रहा है**
6. **इस डिजिटल युग में छोटे बच्चों द्वारा देखी गई सामग्री की गुणवत्ता का अनुवीक्षण बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसको ठीक करने के लिए सरकार की क्या योजना है? आवश्यक सुरक्षा विकसित करने के लिए मानव संसाधनों में किस निवेश की आवश्यकता है।**
7. **क्या सदन ने वेतनमान और युवा रोजगार अवसरों को मानव अधिकारों का कार्य विषय बनाया है?**
8. **क्या घरेलू मज़दूरों के मामले में अधिकारों के माध्यम से सामाजिक न्याय को अभिव्यक्ति दी गई है?**
9. **क्या भूमिहीन कृषि मज़दूरों और छोटे किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए कृषि क्षेत्र में कोई संरचनात्मक परिवर्तन प्रस्तावित हैं?**
10. **क्या उपभोक्तावाद ने देश में जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डाला है?**

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मन्त्रालय के साथ मिल कर डॉ० भीम राव अम्बेडकर का 125 वां जन्म दिवस मना रहा है। सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को मॉक पार्लियामेन्ट की वाद-विवाद आयोजित करने के तरीके के ब्यौरे की तुरन्त जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कार्यक्रम को अनुकूल स्थान पर विद्यार्थियों की उपस्थिति में आयोजित किया जाए, जिससे बच्चे भारत रत्न डॉ० भीम राव अम्बेडकर की गतिशीलता और सक्रियता से सीखें और समझेंगे कि किस प्रकार उन्होंने हमारे लोकतन्त्र को आकार प्रदान किया। अधिक स्पष्टीकरण के लिए आप शिक्षा अधिकारी सुश्री पी० राजेश्वरी से rajeshwary.cbse@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।

सुगंध शर्मा

सुगन्ध शर्मा
अपर निदेशक (अनुसंधान एवं नवाचार)

अधोलिखित, समस्त निदेशालयों, संगठनों, संस्थानों के प्रमुखों और अधिकारियों को प्रतिलिपि इस अनुरोध के साथ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।

1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष, वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
10 अपर महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
11 निदेशक, एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना), एकीकृत मुख्यालय, FDRC बिल्डिंग नं 202, शंकर विहार (निकट ए पी एस), दिल्ली कैंट-110010.
12 सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी के.मा.शि.बो. को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति प्रेषित करने हेतु।
13 एसोसिऐट प्रोफेसर/अपर निदेशक/प्रभारी/अनुसंधान एवं नवाचार, शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध के.मा.शि.बो.
14 संयुक्त सचिव/प्रभारी/शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार स्कंध, के.मा.शि.बो.)
15 सभी एसोसिऐट प्रोफेसर और अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
16 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक-निदेशक, वोकेशलन सेल, के.मा.शि.बो.
17 सभी सहायक प्रोफेसर एवं संयुक्त निदेशक, के.मा.शि.बो.
18 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
19 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
20 सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, के.मा.शि.बो.
21 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
22 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
23 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
24 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
25 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के के निजी सचिव
26 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
27 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक

अपर निदेशक (अनुसंधान एवं नवाचार)